क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बनाम

विजय कृष्ण नीमा और अन्य

(सिविल अपील सं० 2242/2009)

8 अप्रेल 2009

[एस.बी. सिन्हा और डॉ मुकुंदाराम शर्मा जेजे .]

सेवा कानूनः शास्त्री पंचाट के खण्ड 16- सेवा से अनुपस्थित-कार्मिक को कर्त्तव्य पर उपस्थिति बाबत नोटिस-नोटिस की आवश्यकता-अभिनिर्धारितः कर्मचारी का अनुपस्थिति की स्थिति में रजिस्टर्ड डाक मय पावती से नोटिस मिलना आवश्यक-तथ्यों के अनुसार एेसा जाहिर नहीं होता है कि नियोक्ता को कर्मचारी के पते में परिवर्तन की जानकारी नहीं थी-उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यों के बारे में यह निष्कर्ष निकाला गया कि उस पर नोटिस की तामील नहीं हुई, चूंकि उसके खाते में 236 दिन का अवकाश उपलब्ध था, वह सेवा जारी रखवाने का अधिकारी था-प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार दखल वांच्छित नहीं है-भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 136

प्रतिवादी अपीलार्थी बैंक में कार्यरत था। उसने बिना अनुमति के छुट्टी बढ़ा ली। दो मीमो जारी किये गये, जो लेने से मना करने के पृष्ठांकन के साथ बैंक में लौट गये। चूंकि वह कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं आया। उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उसके विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की जावे। प्रत्यर्थी ने उक्त नोटिस प्राप्त होने का अभ्यावेदन दायर किया। प्रत्यर्थी को यद्यपि यह सूचित किया गया कि वह स्वेच्छिक रूप से सेवा छोड़ने के कारण बैंक के रोजगार में नहीं रहा। प्रत्यर्थी ने अपील दायर की, जो इस आधार पर खारिज की गई। परन्तु उसकी सेवा समाप्ति द्विपक्षीय समझौते (शास्त्री पंचाट) के अनुसार की गई तथा प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी के खाते में 236 दिन का अवकाश था; प्रत्यर्थी ने पता परिवर्तन का प्रार्थनापत्र पेश किया था, यद्यपि बैंक ने इस पते पर नोटिस नहीं भेजा, न ही उस पर व्यक्तिगत रूप से नोटिस की तामील का प्रयास किया गया। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के नियमों की पालना नहीं की गई तथा इसलिए प्रत्यर्थी सेवा जारी रखवाने का अधिकारी है। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई।

न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया :

1. एक कर्मचारी कतिपय परिस्थितियों में, अपनी नौकरी छोड़ सकता है या छोड़ना माना जा सकता है। परित्याग वैधानिक प्रावधान का विषय हो सकता है अथवा नियोक्ता व संघ के बीच समझौता हो सकता है। यद्यपि लम्बे समय तक बिना अवकाश के अनुपस्थिति संबंधित कर्मचारी का घोर दुराचार हो सकता है। इस प्रकार के प्रकरण में शास्त्री पंचाट के खण्ड 16 के अनुसार एेसी परिस्थितियों में एक कर्मचारी का रोजगार छोड़ दिये जाना माना जा सकता है। (पेरा 14) (656-बी)

न्यायिक दृष्टान्त विवेकानन्द सेठी बनाम चेयरमेन, जे एण्ड के बैंक लि.**(2005) 5 एससीसी 337;** पंजाब एण्ड सिंध बैंक और अन्य बनाम सकत्तर सिंह, **2001 (1) एससीसी 214;** सिंडिंकेट बैंक बनाम महासचिव,सिंडिकेट बैंक एसोसिएशन कर्मचारी संघ और अन्य, **(2000) 5 एससीसी 65** और न्यू इण्डिया इन्श्योरेंश कम्पनी लि. बनाम विपिन बिहारीलाल श्रीवास्तव **(2008) 3 एससीसी 446** का सन्दर्भ दिया।

1.2 प्राकृतिक न्याय का सिद्घान्त घिसापिटा है, यह वैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य विरूद्घ लागू नहीं हो सकता। शास्त्री पंचाट के खण्ड 16 में इस प्रकार का नोटिस दिये जाने का प्रावधान है। यदि नोटिस की तामील होने के बावजूद प्रत्यर्थी कर्त्तव्य पर उपस्थिति नहीं देता है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। (पेरा 15)(657-डी,ई)

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भारत संघ लि. बनाम शम्मीभान और अन्य **(1998) 6 एससीसी 538** और स्कूटर इण्डिया लि. बनाम एम.मोहम्मद याकूब **(2001) 1 एससीसी 61,**

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त वी.सी. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अन्य बनाम श्रीकांत **(2006) 11 एससीसी 42** और डी.के. यादव बनाम जे एम ए इण्डस्ट्रीज लि. **(1993) 3 एससीसी 259,**

1.3 एक अनुपस्थित कर्मचारी को नोटिस की तामील रजिस्टर्ड डाक मय पावती से भेजना आवश्यक था। उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यों से संबंधित यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में उस पर नोटिस की तामील नहीं हुई। अपीलार्थी ने केवल लिफाफा की फोटो प्रति पेश की। एेसा जाहिर नहीं हुआ कि नोटिस रजिस्टर्ड कवर मय पावती भेजा गया। साथ ही यह भी प्रतीत नहीं होता कि प्रत्यर्थी द्वारा उसका पता परिवर्तित किये जाने के तथ्य की जानकारी बैंक के अधिकारियों को नहीं हो। प्रत्यर्थी द्वारा आवास परिवर्तन करना अस्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में आगामी घटना अर्थात् प्रत्यर्थी से ऋण की राशि का वसूली का दावा दायर किये जाने से स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलार्थी के अधिकारियों को प्रत्यर्थी के परिवर्तित पते की जानकारी थी। इसके अतिरिक्त नोटिस तामील नहीं होने के सन्दर्भ में समवर्त्ती निष्कर्ष निकाला गया। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को यह स्वतन्त्रता दी कि प्रत्यर्थी को सुनवायी का

अवसर प्रदान करें। प्रत्यर्थी बैंक में 2004 स कार्य कर रहा है। इस प्रकरण के तथ्यों,परिस्थितियों के अनुसार यह एेसा उपयुक्त प्रकरण नहीं है, जहां यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें।(पेरा 16)(659-जी,एच; 660 ए; 660-बी-ई)

2. अपीलार्थी ने यह अभिवाक् लिया कि प्रत्यर्थी ने बिल्डर्स और ब्रोकर्स के नाम से व्यवसाय किया। दिवाली के अवसर पर बैंक के अधिकारियों को भेजे गये ग्रीटिंग कार्ड से उक्त तथ्य को साबित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि उक्त दलील उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखी जानी चाहिये थी, इस प्रश्न पर विचार की आवश्यकता इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुये शेष नहीं रह जाती कि प्रत्यर्थी को पूर्व् में ही सेवा में पुनः स्थापित किया जा चुका है। (पेरा 17) (660-एफ)

ए. यू.पी.राज्य पुल निगम लिमिटेड बनाम यू.पी. राज्य सेतु निगम एस. कर्मचारी संघ **(2004) 4 एससीसी 268 सन्दर्भ में।**

प्रकरण के सन्दर्भ में कानून

(2005) 5 एससीसी 337	**पैरा 14**	**सन्दर्भित**
(2001 (1) एससीसी 214	**पेरा 14**	**सन्दर्भित**
(2000) 5 एससीसी 65	**पेरा 14**	**सन्दर्भित**

(2005) 3 एससीसी 446	**पेरा 14**	**सन्दर्भित**
(1998) 6 एससीसी 538	**पेरा 15**	**सन्दर्भित**
(2001) 1 एससीसी 61	**पेरा 15**	**सन्दर्भित**
(2006)11 एससीसी 42	**पेरा 15**	**सन्दर्भित**
(1993) 3 एससीसी 259	**पेरा 15**	**सन्दर्भित**
(2004) 4 एससीसी 268	**पेरा 15**	**सन्दर्भित**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या-2242/2009

मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय, इन्दौर की रिट याचिका संख्या 322/2006 में पारित खण्डपीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 16.10.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से जयदीप गुप्ता, दिनेश माथुर

सौरभ जैन, (रामेश्वर प्रसाद गोयल की ओर से) नीरज शर्मा और विक्रान्त सिंह प्रत्यर्थीगण की ओर से,

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस.बी. सिन्हा, J. 1. छुट्टी स्वीकृत..

2. इस अपील में शास्त्री पुरस्कार के खंड 16 का आवेदन प्रश्न में है, जो 2006 की रिट अपील संख्या 322 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित 16.10.2006 के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुआ है। जिसके तहत और जिसके तहत 2004 की रिट याचिका संख्या 521 में उक्त न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 29.10.2004 के फैसले और आदेश की पुष्टि की गई थी।

3. प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि वह 1973 से अपीलकर्ता बैंक में कार्यरत है। 22.7.1986 को या उसके आसपास, उसने 25.7.1986 तक चार दिन की छुट्टी ली थी। उन्होंने अपनी छुट्टी 26.7.1986 से 1.8.1986 तक बढ़ा दी। वह न तो अपनी सेवाओं पर उपस्थित हुए और न ही छुट्टी के विस्तार के लिए कोई और आवेदन दायर किया।

दिनांक 4/5.8.1986 और 18.8.1986 के दो ज्ञापन जारी किये गये। उसके बाद दिनांक 13.10.1986 को एक पत्र जारी किया गया जो 'अस्वीकृत' पृष्ठांकन के साथ बैंक को वापस कर दिया गया। उक्त पत्र इस प्रकार है:

"हमारे कार्यालय पत्र दिनांकित 5.8.1986, 18.8.1986 बाबत् उचित छुट्टी आवेदन और बैंक से अनुपस्थित रहने के कारणों को प्रस्तुत करने का अनुरोध करने के संदर्भ मे:

श्री वी.के. नीमा ने दिनांक 2.8.1986 के बाद कोई आवेदन तथा अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने का कारण प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्री वी.के नीमा को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत ड्यूटी पर उपस्थित हों और बैंक से अपनी अनुपस्थिति का कारण बताएं। तीन दिन के भीतर ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

4. चूंकि उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए दिनांक 9.2.1987 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए, जिसमें कहा गया था:

"श्री वीके नीमा क्लर्क का ध्यान आकर्षित किया जाता है। कि उन्होंने 22.7.86 से 25.7.86 तक 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया था और उसके बाद 26.7.86 से 1.8.86 तक छुट्टी बढ़ा दी थी। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद श्री

वीके नीमा ने रिपोर्ट नहीं की। ड्यूटी के लिए न ही किसी भी कारण से कोई छुट्टी का आवेदन प्रस्तुत किया।

हमारे पत्र दिनांकित 05.08.86, 18.08.86 और 13.10.86 के माध्यम से श्री नीमा को तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने और कुछ दिनों के भीतर बैंक से अपनी अनुपस्थिति का कारण बताने की सलाह दी गई थी। श्री वीके नीमा ने निर्देशों का पालन नहीं किया और उन्होंने हमारे पत्र दिनांक 13.10.1986 को स्वीकार करने से इंकार कर दिया जो कि रजि. डाक द्वारा उनके निवास पते पर भेजा गया था।

इन परिस्थितियों में, बैंक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उनका बैंक की सेवाओं में बने रहने का कोई इरादा नहीं है। यद्यपि, उन्हें एक बार फिर इस पत्र के 30 दिनों के भीतर हमारी शाखा में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने और 2.8.86 से उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यदि वह उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि वह 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर बैंक की सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गया है और उसका नाम बैंक के

रोल से काट दिया जाएगा। और बैंक अपना बकाया वसूलने के लिए उचित कार्रवाई करेगा।"

5. प्रत्यर्थी ने उक्त नोटिस प्राप्त होने पर एक अभ्यावेदन दायर किया।

6. दिनांक 6.4.1987 के एक आदेश के कारण, प्रत्यर्थी को सूचित किया गया कि वह स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के कारण 9.3.1987 से बैंक के रोजगार में नहीं रह गया है।

निर्विवाद रूप से, प्रत्यर्थी ने बैंक से कुछ ऋण लिया था, वह 192, जवाहर मार्ग, इंदौर से 62, वंदना नगर, इंदौर में शिफ्ट हो गया था। बैंक द्वारा एक वसूली वाद दायर किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी का पता 62, वंदना नगर, इंदौर बताया गया था।

7. प्रत्यर्थी ने दिनांक 6.4.1987 के उक्त आदेश के विरुद्ध 2.5.1987 को अपील भी दायर की। इसके बाद उसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ, इंदौर के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे 1988 के WP586 के रूप में चिह्नित किया गया था। दिनांक 22.4.1997 के एक आदेश के अनुसार, उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए निपटा दिया था:

"हालाँकि, मेरे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं हुआ है कि अनुबंध-जी, प्रतिवादियों द्वारा एक अपील का निपटारा

कानून के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अलावा यह भी विवादित नहीं है कि उत्तरदाताओं द्वारा पारित आदेश के खिलाफ (अनुलग्नक-ए और ई)), द्विपक्षीय समझौते के खंड 19.14 के संदर्भ में अपील आंचलिक प्रबंधक से की जाएगी।"

उच्च न्यायालय ने कहा:

"इस प्रकार, परिस्थितियों की समग्रता पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मैं उत्तरदाताओं को अनुलग्नक जी/ दिनांक 2.5.1987 को जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के क्षेत्रीय प्रबंधक को संबोधित है। द्विपक्षीय समझौते का खंड 19.14 के अनुसार एक अपील के रूप में मानने का निर्देश देना उचित समझता हूं, और प्रत्यर्थी नंबर 1 को निर्देशित करता हूं कि वह इसे गुणावगुण के आधार पर कानून के अनुसार जितनी जल्दी संभव हो सके, निर्णय लेने के लिए जोनल प्रबंधक के समक्ष रखे। उत्तरदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा अपील के ज्ञापन में उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करें और यह एक तर्कसंगत आदेश द्वारा तय किया जाए।"

यदि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रार्थना करता है, तो उस पर भी याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों और साथ ही लागू नियमों और विनियमों के प्रकाश में तथा मामले के विशिष्ट तथ्यों परिस्थितियों मे विचार किया जाना चाहिए।"

8. उसके अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए, अपीलीय प्राधिकारी ने उप महाप्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल के समक्ष की गई अपील को विभागीय अपील के रूप में माना। उसे सुनवाई का मौका दिया गया. अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 24.10.1997 के एक आदेश द्वारा उक्त अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया:

"आवेदक का यह तर्क कि सभी लिखित संचार निश्चित रूप से वहां थे जहां वह नहीं रह रहा था, स्वीकार्य नहीं है। इस तथ्य से कि अपीलकर्ता ने बैंक से आवास ऋण सुविधा का लाभ उठाया है, यह नहीं माना जा सकता है कि उसने वहां रहना शुरू कर दिया है, जब तक कि घर के उपयोग के बारे में बैंक को विशिष्ट जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, पत्रों के तथ्य और कारण को उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, उसे शाखा से विभिन्न संचार सूचनाओं के बारे में पता था ।

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आगे कहा कि शाखा प्रबंधक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना दिनांकित 09.02.87 है। 9.2.87 प्रशासनिक आवश्यकता की हैसियत से जारी किया गया था। इसलिए, यह किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं है।

यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुसार थी। इस प्रकार, विभागीय प्राधिकार का गैर-आचरण भी उस पर की गई कार्रवाई को दूषित नहीं करता है।"

9. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश की विधि सम्मतता और/या वैधता पर सवाल उठाते हुए एक दूसरी रिट याचिका दायर की गई थी। दिनांक 29.10.2004 के एक फैसले और आदेश के आधार पर, उक्त न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह राय देते हुए रिट आवेदन को स्वीकार किया:

"उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खाते में 236 दिनों की छुट्टी थी, यह सुरक्षित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को नोटिस तामिल हुआ और उसे सुनवाई या कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

तथ्यों से यह और भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पास अपनी बीमारी के कारण अनुपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण था, उसके खाते में 236 दिन की छुट्टी थी। ऐसी परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय के नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खाते में 236 दिनों की छुट्टी है। उसके पास अपनी बीमारी के संबंध में प्रबंधन के समक्ष रखने के लिए एक स्पष्टीकरण भी है जो चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है। उसने इसके लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है कि उसका पता 62, वंदना नगर, इंदौर बदल गया है। स्वीकृत रूप से इस पते पर बैंक द्वारा नोटिस नहीं भेजा गया था। बैंक ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देने की कोशिश नहीं की है। ऐसी परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय के नियम को खारिज नहीं किया जा सकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के संबंध में बैंक का निर्णय प्राकृतिक न्याय के नियम के अनुपालन के बाद लिया गया है।"

रिट याचिका को यह निर्देश देते हुए अनुमति दी गई:

"आक्षेपित आदेश अनुलग्नक - पी/5 दिनांकित 6.4.1987 जिसके द्वारा यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता 9.3.1987 से बैंक रोजगार में नहीं रह गया है और अपीलीय आदेश अनुलग्नक पी/ 16 दिनांक 24.10.1997 को रद्द कर दिया गया।

परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को बैंक की सेवा में माना जाएगा। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यर्थी बैंक यदि वह चाहे तो विभागीय नियमित जांच करने और उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता वर्तमान में मामले की परिस्थितियाेंं व तथ्यों के अनुसार एवं बकाया के लिए हकदार नहीं होगा और लेकिन सेवा की निरंतरता के लिए हकदार होगा। हालांकि, प्रत्यर्थी विभागीय जांच के नतीजे के बाद बकाया वेतन के बिन्दु पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।"

10. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने निवेदन किया:

1) विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक गंभीर त्रुटि की क्योंकि वह इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि शास्त्री पंचाट के खंड 16 को लागू करने के लिए, नोटिस की व्यक्तिगत सेवा अनिवार्य नहीं थी क्योंकि इसे पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा प्रभावी किया जा सकता था।

2) चूंकि प्रत्यर्थी नोटिस की तामिल के बावजूद अपनी सेवाओं में शामिल नहीं हुआ, इसलिए अपीलकर्ता के लिए कोई विभागीय कार्यवाही शुरू करना आवश्यक नहीं था ।

(3) इस न्यायालय के कई निर्णयों में खंड 16 की वैधता को बरकरार रखा गया है, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है।

4) किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थी ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है, उच्च न्यायालय ने उसे अपनी सेवा में बहाल करने का निर्देश देकर गंभीर त्रुटि की है।

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नीरज शर्मा ने निवेदन कियाः

(i) दो अदालतों द्वारा निकाले गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष के मद्देनजर कि प्रत्यर्थी को 236 दिनों की छुट्टी देय थी, शास्त्री पंचाट का खंड 16 लागू नहीं होगा और, इस प्रकार, इस न्यायालय को आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(ii) प्रत्यर्थी को उसकी सेवाओं में शामिल होने के लिए कहने वाले नोटिस की तामिल साबित नहीं हुई है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(iii) मामले के किसी भी दृष्टिकोण से विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी के खिलाफ एक विभागीय कार्यवाही शुरू करने का अवसर दिया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2004 से, प्रत्यर्थी बैंक में काम कर रहा था और इसके अलावा उक्त अवधि के दौरान, कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

12. शास्त्री पंचाट का खंड 16 इस प्रकार है:

"जहां किसी कर्मचारी ने छुट्टी के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए बिना किसी छुट्टी के या उससे अधिक काम से अनुपस्थित रहता है या मूल रूप से स्वीकृत छुट्टी की अवधि से परे लगातार 90 दिनों या उससे अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहता है या बाद में बढ़ा दिया गया है या जहां संतोषजनक सबूत है कि उसने भारत में बेरोजगारी ले ली है या प्रबंधन संतुष्ट है कि उसका कर्तव्य पर उपस्थित होने का कोई वर्तमान इरादा नहीं है, तो प्रबंधन उसके बाद किसी भी समय कर्मचारी के अंतिम ज्ञात पते पर एक नोटिस दे सकता है कि कर्मचारी को नोटिस के तीस दिनों के भीतर कर्तव्य पर रिपोर्ट करना होगा, अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन के इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार बताते हुए कि कर्मचारी का ड्यूटी पर शामिल होने का कोई इरादा नहीं है और जहां उपलब्ध हो, आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। जब तक कर्मचारी तीस दिनों के भीतर ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करते हैं या जब तक वह प्रबंधन को संतुष्ट करते हुए अपनी अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण नहीं देता है कि उसने कोई अन्य रोजगार या व्यवसाय नहीं लिया है। और उसका

कर्तव्यों में शामिल नहीं होने का कोई इरादा नहीं है, तो उक्त नोटिस की अवधि समाप्त होने पर कर्मचारी को बैंक की सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त माना जाएगा। कर्मचारी द्वारा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने की स्थिति में, कानून या सेवाओं के नियमों के तहत कोई भी कार्रवाई करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे उपरोक्त नोटिस की समाप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की अनुमति दी जाएगी।"

13. उक्त अवार्ड उस प्रकिया और तरीके का प्रावधान वर्णित करता है, जिस शर्तों में नोटिस की सेवा तामिल प्रभावी होगी:

"नोटिस और आदेश जारी करना:- जो नोटिस देना आवश्यक है, उसे प्रभावित कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा और उनकी पावती ली जाएगी, और संबंधित कार्यालयों या प्रतिष्ठानों में बैंक के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये इस प्रकार प्रदर्शित किये जाने वाले नोटिस की सामग्री अंग्रेजी में होगी और उस जिले या इलाके की मुख्य भाषा में भी होगी जिसमें ऐसा प्रत्येक कार्यालय या प्रतिष्ठान स्थित है। कोई भी नोटिस, आदेश, आरोप-पत्र, संचार या सूचना जो किसी व्यक्तिगत कर्मचारी

के लिए है, संबंधित कर्मचारी द्वारा समझी जाने वाली भाषा मे होगी। अनुपस्थित कर्मचारी के मामले में उसे पावती सहित पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाएगा।"

14. शास्त्री पंचाट के खंड 16 और/या उससे जुड़े प्रावधानों की वैधता के संबंध में प्रश्न अब एकीकृत नहीं रह गया है।

कुछ स्थितियों में, कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ सकता है या उसे त्यागा हुआ माना जा सकता है। परित्याग का गठन वैधानिक प्रावधान या नियोक्ता और संघ के बीच समझौते का मामला हो सकता है। यद्यपि लंबे समय तक बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना संबंधित कर्मचारी की ओर से गंभीर कदाचार हो सकता है, इस प्रकृति के मामले में, शास्त्री पंचाट के खंड 16 के मद्देनजर, एक कर्मचारी का रोजगार समाप्त माना जा सकता है।

यह न्यायालय विवेकानंद सेठी बनाम चेयरमैन, जे एंड के बैंक लिमिटेड में [(2005) 5 एससीसी 337], अन्य बातों के साथ-साथ, पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य बनाम सकत्तर सिंह [(2001 (1) एससीसी 214] और सिंडिकेट बैंक बनाम महासचिव, सिंडिकेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन और अन्य [(2000) 5 एससीसी 65], में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करता है। इस प्रकार अभिनिर्धारितः

"15. द्विपक्षीय समझौता स्पष्ट और सुस्पष्ट है। इसका शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए। उक्त समझौते को देखने से पता चलता है कि उसके तहत विचार किए गए नोटिस की प्राप्ति पर, कर्मचारी को या तो : (1) तीस दिन के भीतर कर्तव्यों के लिए रिपोर्ट करना होगा (2) प्रबंधन को संतुष्ट करते हुए अपनी अनुपस्थिति के लिए अपना स्पष्टीकरण देंना होगा कि उसने कोई रोजगार या व्यवसाय नहीं लिया है; और (3) दिखाना होगा कि उसका कर्तव्यों पर उपस्थित न होने का कोई इरादा नहीं है। इस प्रकार, यह केवल तभी होता है जब संबंधित कामगार तीस दिनों के भीतर अपने कर्तव्यों में शामिल नहीं होता है या संतोषजनक स्पष्टीकरण दाखिल करने में विफल रहता है, जैसा कि यहां बताया गया है, कि कानूनी कथा लागू होगी। वर्तमान मामले में, चिकित्सा अवकाश की मंजूरी के लिए पूछने के अलावा, उन्होंने इसके लिए प्रबन्धन की संतुष्टी हेतु कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया कि उसने कोई अन्य रोजगार या व्यवसाय नहीं अपनाया है और उनका अपने कर्तव्यों में शामिल न होने का कोई इरादा नहीं है।"

20. यह सच हो सकता है कि इस प्रकृति के मामले में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करना आवश्यक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि एक पूर्ण विभागीय कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता थी। इस बात की सीमित जांच कि क्या संबंधित कर्मचारी के पास छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर नहीं आने या ऐसा करने के लिए कहने पर उसकी ओर से विफलता के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण था , हमारे विचार में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की आवश्यकताओं के पर्याप्त अनुपालन के बराबर है।"

इस न्यायालय द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम विपिन बिहारी लाल श्रीवास्तव [(2008) 3 एससीसी 446] में भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया था।

15. नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत घिसा-पिटा है, वैधानिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य के विपरीत लागू नहीं होता।

यह अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड बनाम शम्मी भान और अन्य। [(1998) 6 एससीसी 538] और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड बनाम एम. मोहम्मद

याकूब [(2001) 1 एससीसी 61], जैसा मामला नहीं था, जहां कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी।

शास्त्री पंचाट का खंड 16 इस तरह के नोटिस जारी करने का प्रावधान करता है। यदि नोटिस देने के बावजूद कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आया तो उसके परिणाम भुगतने होंगे।

वीसी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य बनाम श्रीकांत [(2006) 11 एससीसी 42], मे डीके यादव बनाम जेएमए इंडस्ट्रीज लिमिटेड [(1993) 3 एससीसी 259, अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) का जिक्र करते हुए, यह राय दी गई थी:

> "57. हालाँकि, मामला उस मामले में अलग हो सकता है जहां सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद, उसकी अनधिकृत अनुपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है या उसे अपने कर्तव्य में शामिल होने का अवसर देने के बावजूद, वह ऐसा करने में विफल रहता है, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम सकत्तर सिंह का मामला था।"

इस न्यायालय ने विवेक सेठी (उपरोक्त) पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया:

"60. इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष विवेकानंद सेठी बनाम अध्यक्ष, जेएंडके बैंक लिमिटेड में सेवा के परित्याग से संबंधित एक प्रावधान फिर से विचार के लिए आया। इस न्यायालय ने राय दी कि हालांकि उस प्रकृति के मामले में, के सिद्धांत प्राकृतिक न्याय का अनुपालन आवश्यक था, एक पूर्ण विभागीय जांच आवश्यक नहीं हो सकती है, यह मानते हुए:

"इस बात की सीमित जांच कि क्या संबंधित कर्मचारी के पास छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर नहीं आने या ऐसा करने के लिए कहने पर उसकी ओर से विफलता के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण था, हमारे विचार में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की आवश्यकताओं के पर्याप्त अनुपालन के बराबर है।"

61. श्री द्विवेदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम मंसूर अली खान मामले में इस न्यायालय के फैसले पर गहरा भरोसा जताया। उस मामले में, नियम 5 (8) (ii) की व्याख्या विचार के लिए आई जो निम्नलिखित शब्दों में है:

"5(8)(ii) कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है या उसे दी गई छुट्टी की समाप्ति के बाद बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है, यदि उसे ड्यूटी पर फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाती है, तो वह किसी छुट्टी भत्ते या वेतन का हकदार नहीं होगा या ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए उसके अवकाश खाते सेबिना वेतन की छुट्टी के रूप में डेबिट की जाएगी, जब तक कि छुट्टी देने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उसकी छुट्टी नहीं बढ़ा दी जाती है। छुट्टी की समाप्ति के बाद ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थिति को एएमयू के कार्यकारी अध्यादेशों के अध्याय IV के खंड 12 और कार्यकारी परिषद के विनियमों के अध्याय IX के पैरा 10 के उद्देश्य से कदाचार के रूप में माना जा सकता है।"

यह माना गया कि कारण बताओ नोटिस और उत्तर आवश्यक होगा। यदि कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था, तो इस न्यायालय ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा।"

यूपी राज्य सेतु निगम. लिमिटेड बनाम यूपी राज्य सेतु निगम एस. कर्मचारी संघ [(2004) 4 एससीसी 268], से

एक बार फिर इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

"23. डीके यादव इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकारी हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्थायी आदेशों में पढ़ा जाना होगा। यह एक ऐसा मामला था जहां सीएसओ एल-2.12 के समान एक स्थायी आदेश था, सिवाय इसके कि 8 दिनों का मार्जिन दिया गया था, जिसके भीतर कामगार को वापस लौटना था और अपनी अनुपस्थिति या छुट्टी की समाप्ति के बाद वापस लौटने में असमर्थता के कारणों को संतोषजनक ढंग से बताना होगा। इस मत को इस न्यायालय के बाद के फैसले लक्ष्मी प्रिसिजन स्क्रूज़ लिमिटेड बनाम राम भगत में दोहराया गया था, जहां यह माना गया कि प्राकृतिक न्याय का तत्व स्थायी आदेशों की अंतर्निहित आवश्यकता थी ।

24. इस मामले में, अपीलकर्ता निगम ने दो नोटिस जारी कर प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रमिकों को ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा था। कर्मचारियों ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। जैसा कि हमने नोट किया है, यह दलील नहीं दी गई कि विज्ञापन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त रूप से अनुपालन नहीं करता है। नोटिस

प्रत्यर्थी को यह बताने का अवसर देते हुए जारी किया गया था कि सीएसओ एल-2.12 के तहत अनुमान क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी ने कारण नहीं बताया। इन परिस्थितियों में, प्रबंधन ने सीएसओ के संदर्भ में उपधारणा की।"

16. हालाँकि, विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या अपीलकर्ता यह साबित करने में सक्षम रहा है कि प्रत्यर्थी को नोटिस दिया गया था। आरंभ में ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने, यह मानने में गंभीर गलती की कि नोटिस की व्यक्तिगत सेवा अनिवार्य थी, क्योंकि अनुपस्थित कर्मचारी के मामले में नोटिस को पावती के साथ पंजीकृत डाक से भेजा जाना आवश्यक था। विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वास्तव में, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलकर्ता ने केवल लिफाफे की एक फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत की है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि नोटिस पावती के साथ पंजीकृत कवर के तहत भेजा गया था।

इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह तथ्य कि प्रत्यर्थी ने अपना पता बदल लिया है, बैंक के अधिकारियों को ज्ञात नहीं था । प्रत्यर्थी द्वारा निवास स्थान परिवर्तन से इनकार नहीं किया गया है। वास्तव में, बाद की घटना, अर्थात्, प्रत्यर्थी से ऋण की राशि की वसूली के

लिए मुकदमा दायर करना स्पष्ट रूप से बताता है कि अपीलकर्ता के अधिकारियों को प्रत्यर्थी के परिवर्तित हुए पते के बारे में पता था । इसके अलावा, नोटिस की तामिल नहीं होने के संबंध में तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष दिया गया।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने की भी स्वतंत्रता दी थी। यह भी विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी 2004 से बैंक में काम कर रहा है। इस मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए ।

17. यह सच हो सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क उठाया गया है कि प्रत्यर्थी ने बिल्डर्स और ब्रोकर्स के नाम पर व्यवसाय शुरू किया था। दिवाली के मौके पर बैंक के अधिकारियों को भेजे गए ग्रीटिंग कार्ड से उक्त बात साबित करने की कोशिश की गई। यद्यपि उक्त बिन्दु पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था, हमारी राय में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी को पहले ही सेवा में बहाल किया जा चुका है, उक्त प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपायों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. अपील खारिज की जाती है। हालाँकि, हर्जे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

डी.जी. अपील अस्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' **की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी** श्रीमति सुमन सहारण-प्रथम (आर.जे.एस.) **द्वारा किया गया है।**

अस्वीकरणः **यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सिमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।**